



मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी क्षेत्र - इंदौर

शुद्धिपत्र क्रमांक 08/03/2019, दिनांक 17.12.2020

राज्य सेवा परीक्षा 2019

रिक्तियों की संख्या में संशोधन एवं वर्दीधारी पदों हेतु आयु-सीमा के निर्धारण की सूचना

01 आयोग द्वारा मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के प्रशासनिक पदों की पूर्ति हेतु "राज्य सेवा परीक्षा-2019" का विज्ञापन क्रमांक 03/2019, दिनांक 14.11.2019 आयोग की वेबसाइट www.mppscdemo.in, www.mppsc.nic.in, एवं www.mppsc.com पर जारी किया गया है तथा "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र के दिनांक 18.11.2019 के अंक में भी प्रकाशित किया गया है।

02 उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किए जाते हैं :-

क. संशोधन:- उक्त विज्ञापन में प्रकाशित निम्नानुसार पदों के रिक्ति विवरण निम्नानुसार संशोधित किए जाते हैं -

पदनाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों हेतु आरक्षित पद संख्या					मध्यप्रदेश के मूलनिवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या					वैतनमान
	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	UR	SC	ST	OBC	EWS	VH	HH	OH	MD	Total	
द्वितीय श्रेणी राजपत्रित																					
स्कूल शिक्षा विभाग																					
सहायक संचालक	17	9	12	16	6	6	3	4	5	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	60	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर विभाग																					
वाणिज्यिक कर अधिकारी	0	1	1	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
जनसम्पर्क विभाग																					
सहायक संचालक, जनसम्पर्क	3	3	0	4	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15600-39100 + 5400 ग्रेड पे
तृतीय श्रेणी कार्यपालिका																					
वाणिज्यिक कर विभाग																					
आबकारी उप निरीक्षक	30	17	7	8	7	10	6	2	3	2	4	2	1	1	0	0	0	0	0	69	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
वाणिज्यिक कर निरीक्षक	6	3	4	5	2	2	1	1	2	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	20	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे
वित्त विभाग																					
मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा	21	3	22	33	9	7	1	7	11	3	2	0	2	3	1	1	2	1	1	88	9300-34800+ 3600 ग्रेड पे

ख विलोपन :- उक्त विज्ञापन में विज्ञापित सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग के सहायक संचालक (संवर्ग) के निम्नानुसार विज्ञापित पदों को अर्हता संशोधन के परिप्रेक्ष्य में विभाग के अनुरोध पर विलोपित किया जाता है :-

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग																					
सहायक संचालक (संवर्ग)	6	3	3	5	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	19

उक्त संशोधन/ विलोपन के परिणामस्वरूप राज्य सेवा परीक्षा 2019 की कुल पद संख्या 571 हो गयी है।

03 वर्दीधारी पदों हेतु आयु सीमा :-

म.प्र. मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-14/2019/एक/3, दिनांक 19 दिसंबर 2019 के अनुसार महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग), पुरुष/महिला आवेदक (अनु.जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त अधिकतम आयु सीमा में एक वर्ष की अतिरिक्त छूट केवल राज्य सेवा परीक्षा, 2019 में भी प्राप्त होगी।

ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) में यथा प्रावधानित भूतपूर्व सैनिक।

04

विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत् रहेगीं।

Vay
सचिव

